

## मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम्स के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम्स के समक्ष यद्यपि परिवाद सादे कागज पर प्रस्तुत किया जा सकता है तथापि शिकायत का एक प्रारूप निर्धारित किया गया है जो वेबसाईट पर उपलब्ध है।

राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष निम्नानुसार मूल्यांकन के परिवाद प्रस्तुत किये जा सकते हैं :—

जिला उपभोक्ता फोरम : रुपये 20.00 लाख तक  
(प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्थित हैं, जिनके पते वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

राज्य उपभोक्ता आयोग : रुपये 20.00 लाख से अधिक परंतु 1.00 करोड़ से कम  
(राज्य की राजधानी में स्थित हैं, जिसका पता 76, अरेरा हिल्स, भोपाल है)

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग : रुपये 1.00 करोड़ से अधिक  
(नईदिल्ली में स्थित है, जिसका पता 5वीं मंजिल, 'ए' विंग, जनपथ भवन, जनपथ भवन नईदिल्ली है)

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 में उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुति के समय निम्नानुसार शुल्क का प्रावधान किया गया है :—

सं. क्र.	वस्तु अथवा सेवा का कुल मूल्य तथा दावाकृत क्षतिपूर्ति	शुल्क के रूप में देय राशि
1	2	3
	<b>जिला उपभोक्ता फोरम</b>	
1	रुपये एक लाख तक – ऐसे शिकायतकर्ताओं के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड धारक हैं	निरंक
2	रुपये एक लाख तक – ऐसे शिकायतकर्ताओं के लिए जो अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों के अतिरिक्त हैं,	रुपये 100
3	रुपये एक लाख से अधिक तथा पाँच लाख रुपये तक	रुपये 200
4	रुपये पाँच लाख से अधिक तथा रुपये दस लाख तक	रुपये 400
5	रुपये दस लाख से अधिक तथा रुपये बीस लाख तक	रुपये 500
	<b>राज्य उपभोक्ता आयोग</b>	
6	रुपये बीस लाख से अधिक तथा रुपये पचास लाख तक	रुपये 2000
7	रुपये पचास लाख से अधिक तथा रुपये एक करोड़ तक	रुपये 4000
	<b>राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग</b>	
8	रुपये एक करोड़ से अधिक	रुपये 5000

जिला फोरम के समक्ष प्रस्तुत किये जाते समय परिवादों का शुल्क पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफट, बैंकर्स चैक, अथवा पे—आर्डर द्वारा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के नाम से संबंधित जिला फोरम में जमा किया जा सकता है ।

राज्य आयोग के के समक्ष प्रस्तुत किये जाते समय परिवादों का शुल्क पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफट, बैंकर्स चैक, अथवा पे—आर्डर द्वारा रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के नाम से राज्य आयोग कार्यालय में जमा किया जा सकता है ।

जिला फोरम के आदेश से असंतुष्ट पक्षकार आदेश दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । यद्यपि अपील प्रस्तुति के लिए कोई शुल्क देय नहीं है तथापि अपील प्रस्तुति के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा जिस पक्षकार के विरुद्ध आदेश दिया गया है उस पक्षकार द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति राशि का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 25000/- जो भी कम हो, जिला उपभोक्ता फोरम के कार्यालय में बैंक ड्राफट, बैंकर्स चैक अथवा पे आर्डर द्वारा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के नाम से जमा कराया जाना आवश्यक है ।

राज्य आयोग के आदेश से असंतुष्ट पक्षकार आदेश दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील/पुनरीक्षण राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । यद्यपि अपील प्रस्तुति के लिए कोई शुल्क देय नहीं है तथापि अपील प्रस्तुति के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा जिस पक्षकार के विरुद्ध आदेश दिया गया है उस पक्षकार द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति राशि का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 35000/- जो भी कम हो, राज्य उपभोक्ता आयोग के कार्यालय में बैंक ड्राफट, बैंकर्स चैक अथवा पे आर्डर द्वारा रजिस्ट्रार, म0प्र0. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल के नाम से जमा कराया जाना आवश्यक है ।

(वी.एस. परमार)  
रजिस्ट्रार,  
म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद  
प्रतितोषण आयोग, भोपाल

00000